न्यायालय सहायक कलक्टर, बाप, जिला जोधपुर
बइजलासा पीठासीन अधिकारी श्री महावीर सिंह (आर.ए.एस.)

बनाम

वादीगण
...सिंह पुत्र दीपसिंह
...सिंह पुत्र दीपसिंह
...सिंह पुत्र दीपसिंह
...राजपूत निवासी टेकरा
...बाप जिला जोधपुर

प्रतिवादीगण
1. रूपसिंह पुत्र हरदानसिंह उर्फ हरदेवसिंह
2. राणीदानसिंह पुत्र हरदानसिंह उर्फ हरदेवसिंह
3. समंदकंवर पत्नी हरदानसिंह उर्फ हरदेवसिंह
4. इन्द्रसिंह पुत्र राणीदानसिंह
   जाति राजपूत निवासी ग्राम टेकरा
   तहसील बाप जिला जोधपुर (राज0)
5. शाखा प्रबन्धक इलाहाबाद बैंक शाखा सिहड़ा
6. श्रीमान तहसीलदार महोदय, बाप

राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53,88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

...मूल वाद संख्या :– 86/2015

...स्थित :–

श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी अधिवक्ता वादीगण की ओर से

श्री मदनसिंह भाटी प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 की ओर से

सरकारी पैरोकार स्वयं उपस्थित।

निर्णय

दिनांक :– 15.01.2020

वादीगण ने एक वाद पेश कर रखा है जिसके संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार है ...गण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 की सामलाती खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 90 ... रकबा 206.04 बीघा सरहद मौजा टेकरा, खसरा नम्बर 91 रकबा 6.03 बीघा, खसरा ...र 92 रकबा 5.07 बीघा, खसरा नम्बर 93 रकबा 39.19 बीघा, खसरा नम्बर 142 रकबा ...00 बीघा एवं वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 की सामलाती खातेदारी की भूमि ...रा नम्बर 138 रकबा 152.00 बीघा भूमि सरहद मौजा कालूसिंहनगर पटवार क्षेत्र टेकरा ...स्थित है। उक्त भूमि में खसरा नम्बर 90 कुल रकबा 206.04 बीघा सरहद मौजा टेकरा, ...रा नम्बर 91 रकबा 6.03 बीघा, खसरा नम्बर 92 रकबा 5.07 बीघा, खसरा नम्बर 93 ...बा 39.19 बीघा, खसरा नम्बर 142 रकबा 49.00 बीघा सरहद मौजा कालूसिंहनगर पटवार ...टेकरा में 1/2 हिसा वादीगण का एवं 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 का तथा ...कालूसिंहनगर के खसरा नम्बर 138 रकबा 152.00 बीघा भूमि में 1/2 हिस्सा वादीगण

Scanned by CamScanner

...विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :-

पक्षकारान् का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	विभाजन
वादी सं. 1 के बंट में	138/1	48.01 बीघा	बी-II	सलग्न नजरी नक्शा अनुसार
	90	22.05 बीघा	बी-II	सलग्न नजरी नक्शा अनुसार
	91	6.03 बीघा	बी-II	सलग्न नजरी नक्शा अनुसार
वादी सं. 2 के बंट में	138	51.19 बीघा	बी-II	सलग्न नजरी नक्शा अनुसार
	142	24.10 बीघा	बी-II	सलग्न नजरी नक्शा अनुसार
वादी सं. 3 के बंट में	90/1	76.09 बीघा	बी-II	सलग्न नजरी नक्शा अनुसार
प्रतिवादी सं. 1 को 1/3, प्रति.सं. 2 को 17/78, प्रति.सं. 3 को 1/3, प्रति.सं. 4. को 3/26 बंट में	138/2	52.00 बीघा	बी-II	सलग्न नजरी नक्शा अनुसार
प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 बंट में	90/2	107.10 बीघा	बी-II	सलग्न नजरी नक्शा अनुसार
	92	5.07 बीघा	बी-II	सलग्न नजरी नक्शा अनुसार
	93	39.19 बीघा	बी-II	संलग्न नजरी नक्शा अनुसार
	142/1	24.10 बीघा	बी-II	सलंग्न नजरी नक्शा अनुसार

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 के खाते राजस्व रेकर्ड में अलग-अलग खाते कायम कर इसी अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम करे। संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली बाद तकमील सुमार हो, नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2020 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर सिंह)
सहायक कलक्टर
बाप (जिला जोधपुर)

सहायक कलक्टर
बाप (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Singh
Date: 2020.01.20 11:41:41 IST
Reason: SelfAttested
Location: